R.B.E.NO. 147/97

SC NO.6 TO NC NO.24

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

NO.E(NG)I-97/TR/28 New Delhi, dated 5-11-1997

The General Managers (P)
All Indian Railways and
Production Units.
(As per standard list).

Sub:- Posting of Husband and Wife at the same place - Instructions in respect of Group 'C' and 'D' Railway employees.

The extant instructions regarding posting of husband and wife at the same station are contained in the Ministry of Railways letter No.E(NG)II/71/TR/14 dated 1.10.71 as reiterated in their letter No.E(NG)I-86/TR/14 dated 6.1.88. These instructions have also been included in the consolidated instructions regarding inter-railway and intra-railway transfers of Group 'C' and 'D' employees issued to Railways etc. vide Board's letter No.E(NG)I-96/TR/28 dated 6.12.96.

2. The Fifth Central Pay Commission has recommended that not only the existing instructions regarding the need to post husband and wife at the same station need to be reiterated but the scope of these instructions should also be widened to include the provision that where posts at appropriate level exist in the organisation at the same station, the husband and wife may invariably be posted together in order to enable them to lead a normal family life and look after the welfare of the children specially till the children are 10 years of age.

3. Pursuant to acceptance, by the Govt., of the recommendations of the Fifth Central Pay Commission on the subject it is reiterated that the Railway Administrations etc. should strictly adhere to the existing instructions referred to above while deciding on the request for posting of husband and wife at the same station and should ensure that such posting is invariably done, especially till the children are 10 years of age, if posts at the appropriate level exist in the organisation at the same station and if no administrative problems are expected to arise as a consequence.

.....2/-

4. It is further clarified that in cases where only the wife is a railway servant, the concession indicated in para 3 above would be admissible to the Railway servant.

5. Board have also decided to lay down the following guidelines to enable the Cadre Controlling Authorities to consider the requests from the spouses for posting at the same station having regard to the considerations as indicated above:-

(i) where both the spouses are railway employees and belong to the same seniority unit:

-Both the railway servants may be posted at the same station/place ensuring that one of them does not work as subordinate to the other.

(ii) where both the spouses are railway servants but belong to different seniority units:

-Efforts may be made to post both the railway servants at the station where posts at appropriate level exist in the respective seniority units failing which requests for change of the category may be considered sympathetically.

(iii) where one of the spouses is a railway servant and the other belongs to All India Service or a Central Service.

-The Railway servant should be posted at station/place in the Railway/Division/PU in whose territorial jurisdiction the place/state of posting of his/her spouse falls or as close to it as possible if there is no Railway Organisation/post at the place/state of posting of the spouse.

(iv) where one of the spouses is a railway servant and the other belongs to a state service:

-The Railway servant should be posted at the station/place in the Railway/Division/PU in whose territorial jurisdiction the place/state of posting of his/her spouse falls. If it is not possible, if a request from the railway servant to the Controlling Authority of the spouse for his/her posting at the place of posting of the railway servant is received the same may be forwarded to the concerned authority for sympathetic consideration.

.....3/-

(v) <u>where one of the spouses is a railway servant and the other is working in a Central/State/Public Sector Undertaking/Autonomous Body/Private Sector:</u>

-The railway servant may apply to the Controlling Authority for a posting at the place of posting of his/her spouse which may be considered favourably by the competent authority. If no post is available for posting of the railway servant at the place of posting of the spouse he/she may be posted to a place closer to the place of posting of the spouse. If this also is not possible an application from the railway servant for posting of the spouse who is working in the Central/State/Public Sector Undertaking may be forwarded to the controlling authority of the spouse for his/her posting at or near the place of posting of the railway servant.

5.1 The guidelines given above are only illustrative and not exhaustive. The Ministry of Railways desire that in all other cases the controlling authority of the railway servants should consider requests from non-gazetted railway servants for transfer to the place of posting of their spouses with utmost sympathy.

6. While all efforts as stated in the foregoing paragraphs may be made to post the husband and wife at the same station, instructions issued by the Board from time to time in regard to request transfer/change of category should be followed in all such cases. A separate register may be maintained at each Divisional and Zonal Headquarters of the Railways for registering requests for transfers from railway servants for posting at the place of posting of their spouses, which may be reviewed from time to time.

Please acknowledge receipt.

(J.S. Gusain)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board

NO.E(NG)I-97/TR/28 New Delhi, dated 5-11-1997

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen Federation, 253, Rail Bhavan, New Delhi. (with 35 spares)
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, 256-C, Rail Bhavan, New Delhi. (with 35 spares)

..../-

3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).

4. The Secretary General,
Federation of Railway Officers Association,
Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi.(with 5 spares)

5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

for Secretary/Railway Board

Copy to:-

PSs to CRB, FC, MS, MM, MT, ML, ME.

PSs to ADV(S), DG(RHS), EDE, EDV, EDE(N), EDE(Res), EDA, EDE(IR), EDPC-I&II, JS(G), JS(E), JDE(RRB), JDE(R), JDE(D&A), JDPC, DDE(R)I&II, DD(Code Revision), DDE(N)I&II, DDE(LR)I, E(NG)II, E(Rep)I,II&III, E(SCT)I&II, Sec(E), E(G) with two spares, A/C-III with 15 spares.

.....

आर.बी.ई.सं.147-/97

मास्टर परिपत्र सं. 24 का पूरक
परिपत्र सं. 6.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

ई.ई.(एन.जी.)1-97/टी.आर./28 नई दिल्ली, दिनांक: 5-11-97

महाप्रबंधक(कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें तथा
उत्पादन इकाइयां.
(मानक सूची के अनुसार)

.....

विषय: पति एवं पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती-
ग्रुप"सी" एवं "डी" रेल कर्मचारियों के संबंध में अनुदेश.

.....

पति एवं पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती करने से संबंधित मौजूदा अनुदेश रेल मंत्रालय के 1.10.71 के पत्र सं.ई(एन जी)11/71/टी.आर./14 में अंतर्विष्ट हैं जैसा कि 6.1.88 के पत्र सं.ई(एन जी)11/71/टी.आर./14 में पुन: दोहराया गया है. इन अनुदेशों को बोर्ड के 6.12.96 के पत्र सं.ई(एनजी)1-96/टी.आर./28 द्वारा रेलों को जारी ग्रुप"सी" एवं "डी" कर्मचारियों के अन्तर्रेलवे तथा अन्तर-रेलवे स्थानांतरण से संबंधित समेकित अनुदेशों में भी शामिल किया गया है.

पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि पति एवं पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात करने की आवश्यकता से संबंधित मौजूदा अनुदेशों में न केवल पुन: दोहराये जाने की आवश्यकता है बल्कि इन अनुदेशों के क्षेत्र में भी प्रावधान को शामिल करने हेतु विस्तार भी किया जाना चाहिए कि जहां किसी एक ही स्टेशन पर किसी संगठन में उपयुक्त स्तर पर पद मौजूद रहे हों वहां पति एवं पत्नी की तैनाती निरपवाद रूप से एक साथ की जाए जिससे कि वे एक सामान्य पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकें तथा बच्चों के कल्याण के खासकर उनके 10 वर्ष तक की आयु हो जाने तक देखभाल कर सकें.

....2/-

3. इस विषय पर पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार करलिये जाने के बाद यह पुन: दौहराया जाता है कि रेल प्रशासन आदि पति एवं पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती करने के अनुरोध पर निर्णय करते समय अमर संदर्भित मौजूदा अनुदेशों का कड़ाईपूर्वक पालन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि ऐसी तैनाती खासकर बच्चों के 10 वर्ष के हो जाने तक, निरपवाद रूप से की जाती है, बशर्ते कि किसी संगठन में एक ही स्थान पर उपयुक्त स्तर पर पद मौजूद हों तथा यदि इसके परिणामस्वरूप किसी प्रशासनिक समस्या की संभावना न हो.

4. आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में केवल पत्नी ही रेल कर्मचारी हो तो रेल कर्मचारी को उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित रियायत अनुमेय होगी.

5. बोर्ड ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित करने का भी विनिश्चय किया है जिससे कि नीचे उल्लेख किए गए आधार पर एक ही स्थान पर तैनाती करने हेतु पति/पत्नी की ओर से प्राप्त अनुरोधों पर संवर्ग नियंत्रक अधिकारी विचार कर सकें.

(i) जहां पति/पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हों और समान वरिष्ठता इकाई से संबंधित हों.

— दोनों रेल कर्मचारियों की यह सुनिश्चित करते हुए एक ही स्थान/स्टेशन पर तैनाती की जा सकती है कि उनमें से एक, दूसरे के अधीनस्थ के रूप में कार्य न करता हो.

(ii) जहां पति/पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हों किंतु अलग-अलग वरिष्ठता इकाई से संबंधित हों.

— दोनों रेल कर्मचारियों को ऐसे स्टेशन पर तैनात करने के प्रयास किए जाएं जहां संबंधित वरिष्ठता इकाइयों में उपयुक्त स्तर पर पद मौजूद हों, ऐसा न होने पर कार्य-परिवर्तन हेतु अनुरोधों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाए.

.../-

(iii) जहां पति/पत्नी में से एक रेल कर्मचारी हो और दूसरा अखिल भारतीय सेवा या किसी केंद्रीय सेवा से संबंधित हो।

— रेल कर्मचारी की तैनाती उस रेल/मंडल/उत्पादन इकाई में किसी स्टेशन/स्थान पर की जाए जिसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में पति/पत्नी की तैनाती का स्थान आता हो अथवा यदि पति/पत्नी की तैनाती के स्थान पर राज्य में कोई रेल संगठन/पोस्ट न हो तो यथासंभव निकटतम स्थान पर उनकी तैनाती की जाए.

(iv) जहां पति/पत्नी में से एक रेल कर्मचारी हो तथा दूसरा राज्य सेवा से संबंधित हो.

— रेल कर्मचारी की उस रेल/मंडल/उत्पादन इकाई में किसी स्टेशन/स्थान पर तैनाती की जानी चाहिए जिसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में उसके पति/पत्नी की तैनाती का स्थान पड़ता हो। यदि यह संभव न हो तो रेल कर्मचारी की तैनाती के स्थान पर पति/पत्नी की तैनाती हेतु रेल कर्मचारी की ओर से नियंत्रक प्राधिकारी को अनुरोध प्राप्त होने पर इसे संबंधित प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाए ताकि इस संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए.

(v) जहां पति/पत्नी में से एक रेल कर्मचारी हो तथा दूसरा केंद्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/निजी क्षेत्र में कार्यरत हों.

— रेल कर्मचारी अपने पति/पत्नी की तैनाती के स्थान पर तैनाती करने हेतु नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुकूल तरीके से विचार किया जा सकता है. यदि पति/पत्नी की तैनाती के स्थान पर रेल कर्मचारी की तैनाती हेतु कोई पद उपलब्ध न हो तो उसे अपने पति/पत्नी की तैनाती के निकटवर्ती स्थान पर तैनात किया जाए. यदि यह भी संभव न हो तो रेल कर्मचारी की ओर से केंद्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्य करने वाले पति/पत्नी की तैनाती हेतु एक आवेदन पत्र उस पति/पत्नी के नियंत्रक प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाए.

....4/-

5.1 ऊपर उल्लिखित दिशा-निर्देश सम्पूर्ण न होकर उदाहरण मात्र हैं. रेल मंत्रालय यह वांछा करता है कि अन्य सभी मामलों में अपने पति/पत्नी की तैनाती के स्थान पर अन्तरण हेतु अराजपत्रित रेल कर्मचारियों की ओर से प्राप्त अनुरोधों पर रेल कर्मचारी के नियंत्रक प्राधिकारी को पूरी सहानुभूति से विचार करना चाहिए.

6. हालांकि एक ही स्टेशन पर पति तथा पत्नी की तैनाती करने हेतु पूर्ववर्ती पैराग्राफों में यथाउल्लिखित हस्तक्षेप प्रदान किए जाएं फिर भी कोर्ट परिवर्तन में परिवर्तन/बदलाव के अनुरोध के संबंध में ऐसे सभी मामलों में बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाए. पति/पत्नी अपने पति एवं अपनी पत्नी की तैनाती के स्थान पर तैनाती करने के लिए रेल कर्मचारियों से स्थानांतरण केअनुरोध पंजीकृत करने हेतु रेलों के प्रत्येक मंडल तथा क्षेत्रीय मुख्यालयों में एक अलग रजिस्टर रखा जाए जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाए.

कृपया पावती दें.

(जे. ला. गुप्ता)
संयुक्त निदेशक स्था. (अराज.)
रेलवे बोर्ड.

सं. ई(एन जी)1-97/टीआर/28 नई दिल्ली, दिनांक: 5-11-97

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडियन रेलवेमेन फेडरेशन, 253, रेल भवन, नई दिल्ली.
2. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, 256-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित.
4. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित).

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.